

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी:- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या:- 024/2022

1. दयालचन्द पुत्र बालचन्द जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. रूकमा पुत्री हरीराम पत्नी हरलाल जाति जाट निवासी दुलमानी मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. मनोहरी पुत्री हरीराम पत्नी महावीर जाति जाट साकिन चक सुभानवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. कृष्णलाल पुत्र सुल्तानराम जाति जाट साकिन ढाबा तहसील सगरिया हाल निवासी
5. गीता देवी पत्नी कृष्णलाल पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राज.।

— वादीगण

—बनाम:—

1. अजीत भादू | पिसरान महावीर जाति जाट साकिन वार्ड नं. 31 दुलमानी
2. संजय भादू | पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. इन्द्रा देवी उर्फ गुड्डी पुत्री भागीरथ पत्नी अमीलाल जाति जाट साकिन ढाणी राजू गोदारा घमुड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. कृष्णा देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति
5. अरविन्द पुत्र ओमप्रकाश जाट
6. विशाल पुत्र ओमप्रकाश साकिन
7. सुभाष पुत्र हरलाल वार्ड नं 31 दुलमानी मण्डी पीलीबंगा
8. मुनी देवी पत्नी सुरेन्द्र तहसील पीलीबंगा
9. सतीश | पुत्रगण जिला हनुमानगढ़
10. बिकु | सुरेन्द्र राजस्थान।
11. कुलदीप पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन वार्ड नं. 14 मण्डी
12. विमला देवी पत्नी साहबराम पीलीबंगा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. कलावती पुत्री सजना पत्नी दौलतराम जाति जाट
14. कौशल्या पुत्री सजना पत्नी दौलतराम साकिन दौलतावाली
15. भूप सिंह पुत्र सजना पत्नी दौलतराम तहसील पीलीबंगा
16. रणजीत पुत्र सजना पत्नी दौलतराम जिला हनुमानगढ़
17. सन्तोष देवी पुत्री सजना पत्नी दौलतराम राजस्थान।
18. चन्द्रकला पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन कस्वां फार्म हाऊस हनुमानगढ़ रोड वार्ड नं. 26 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
19. प्रदीप कुमार पुत्र विजय सिंह जाति जाट
20. संदीप कुमार पुत्र विजय सिंह साकिन 9 पीबीएन ढाणी केशव विधापीठ के सामने
21. विपल कुमारी पुत्री विजय सिंह गंगानगर रोड मण्डी व तहसील
22. सुनीता देवी पत्नी विजय सिंह पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
23. रणवीर पुत्र भागीरथ जाति जाट साकिन वार्ड नं. 14 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
24. विधा देवी पुत्री भागीरथ जाति जाट नि. 9 पीबीएन ढाणी केशव विधापीठ



सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

25. विनोद देवी भागीरथ के सामने गंगानगर रोड़ पीलीबंगा तह. पीलीबंगा।
26. सुमन पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील
27. कृष्ण कुमार पिसरान तहसील पीलीबंगा
28. महावीर प्रसाद रूपराम जिला हनुमानगढ़
29. कुलदीप पुत्र कृष्णलाल राजस्थान।
30. नीलम पुत्री विधा देवी पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
31. दीपिका पत्नी राजेश जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील
32. पुजा देवी पत्नी विकास पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
33. मन्जु पत्नी राकेश राजस्थान।
34. दलीप पुत्र सजना पत्नी दौलतराम जाति जाट निवासी दौलतावाली
35. महेन्द्र पुत्र सजना पत्नी दौलतराम तहसील पीलीबंगा जिला
36. महावीर पुत्र सजना पत्नी दौलतराम हनुमानगढ़ राजस्थान।
37. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राज.।
38. इन्दुबाला पत्नी महावीर जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
39. सरस्वती पुत्री हरीराम जाति जाट निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
40. मथुरा पुत्री हरीराम जाति जाट निवासी 2 केएचएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 53 बाबत खाता विभाजन

दिनांक :- 03/06/24

वादीगण की ओर से श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को अमिता बिश्नोई^{आर.ए.एस} उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि में निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं:-

1. वादी दयालचन्द को चक 38 एन.डी.आर.(टी.पी.) के प.न. 83/347 किला नं. 1 से 25 की 6.325 हैक्ट. भूमि व वादीया रूकमा चक 3 पी.डब्ल्यू.एम. प.न. 76/339 किला नं. 4, 7, 14, 17/1.012 हैक्ट. 21, 22/.506, 23/.126 दक्षिण दिशा 24/.253 कुल 1.897 हैक्ट. कमाण्ड, अनकमाण्ड व वादीया मनोहरी को चक 3 पी.डब्ल्यू.एम. क प.न. 76/342 के किला नं. 1 से 5 कुल 1.265 हैक्ट. अनकमाण्ड प.न. 75/341 के किला नं. 6, 15, 16, 25 की 1.012 हैक्ट. प.नं. 76/339 किला नं. 18/.177, दक्षिण दिशा 23/.126 उत्तर दिशा की 0.304 हैक्ट. व चक 2 पी.डब्ल्यू.एम. के प.न. 79/377 किला नं. 5/1, 5/2, 6, 15/.045 कुल .551 हैक्ट. कमाण्ड मय खाला व प.न. 78/335 किला नं. 24/.038, 25/.253 हैक्ट. की .291 हैक्ट. कमाण्ड कुल 0.842 हैक्ट. कमाण्ड मय खाला भूमि प्राप्त हुई है के खातेदार काश्तकार है। वादी कृष्णलाल पुत्र सुल्तानराम सहारण को चक 3 पीडब्ल्यूएम के प.न. 76/339 के किला नं. 3/0.051, पूर्व दिशा 8-13/0.506, 18/0.076 उत्तर दिशा कुल 0.633 हैक्ट. कमाण्ड व


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

गीता देवी को चक 38 एन.डी.आर.(टी.पी.) के प.न. 82/347 किला नं. 1/2 से 15, 17/.0144, पश्चिम दिशा 18/.126 पूर्व दिशा कुल 3.990 हैक्ट. कमांड के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता विभाजन किया जाता है।

2. मनोहरी व रूक्मा के नाम चक 3 पीडब्ल्युएम में दर्ज भूमि में से 3.338 हैक्ट. भूमि में से 1.668 हैक्ट. भूमि प्रतिवादी सं. 28 महावीर को , 0.558 हैक्ट. भूमि प्रतिवादी सं. 27 कृष्णकुमार, 0.742 हैक्ट. प्रतिवादी सं. 12 विमला देवी, 0.370 हैक्ट. प्रतिवादी सं. 23 रणवीर को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।
3. प्रतिवादी सं. 31, 32, 33 का कब्जा काश्त मुताबिक हिस्सा निम्न प्रकार से है चक 3 पीडब्ल्युएम प.नं. 76/341 (42) किला नं. 9, 10/.01265 11/.01265 12 ता 19, 20/.01265, 21/.01265, 22 ता 25 की 3.340 हैक्ट. अनकमाण्ड भूमि प.नं. 76/342 (57) किला नं. 2 ता 9 की 2.024 हैक्ट. अनकमाण्ड इस प्रकार कुल तादादी 5.364 हैक्ट. अनकमाण्ड ब.हि.ब खाता विभाजन किया जाता है।
4. चक 2 पीडब्ल्युएम में हरीराम के नाम 0.842 हैक्ट. दर्ज भूमि की वादीया सं. 3 मनोहरी खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा में तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि होती है तो उसकी पूर्ति हेतु नियमानुसार स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 03/06/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा